भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 65AA 296002

10/- के स्टाम्प पर [illegible]

पक्ष — [illegible] — स.र. [illegible]

5000RS.

INDIA NON JUDICIAL

5000 रु. Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

Subodh Kumar Trivedi
ADV
Court Compound - Kan...

।। श्री गणेशायनमः ।।

बयनामा

मनकि राजाराम कनौजिया पुत्र स्व0 श्री जुराखन कनौजिया निवासी मकान नम्बर 105 बैरी कल्यानपुर, पोस्ट बैरीकल्यानपुर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर का हूँ ।

विदित हो कि मिनमुकिर आराजी भूमिधरी नम्बरी 1082 रकबा 0.307 है0 व आराजी नम्बर 1093 रकबा 0.451 है0

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

व आराजी नम्बर 1094 रकबा 0.533 है0 कुल तीन किता कुल रकबा 1.291 है0 के 1/2 भाग स्थित मौजा बैरीअकबरपुर कछार परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर का तनहां मालिक ,काबिज व दखील संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है । कब्जा भी मिन मुकिर का है, तथा नाम भी दर्ज कागजात सरकारी है । मिन मुकिर के हिस्से में मिन मुकिर के अलावा अन्य कोई व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार

रामारानी

रामरानी

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

5000 Rs. Rs. 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

-3-

अथवा भागीदार नहीं हैं। मिनमुकिर की उक्त आराजियात विवरण हस्ब जैल आज दिन तक जुमला बार किफालत से बरी पाक व साफ है । कहीं रहन, बय, हिबा, मुस्तागरक, जमानत आदि नहीं है तथा किसी डिगरी व इजराये डिगरी में कुर्क अथवा बरसरे नीलाम नहीं है । और मुकिर को किसी न्यायालय या मोहकमा सरकारी द्वारा उक्त आराजियात को आज दिन तक की बावत विक्रय आदि करने से भी रोका नहीं गया है ।

9/5/14

2/5/14

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु.

Rs 5000

पाँच हज़ार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

-4-

तथा उक्त जायदाद किसी न्यायालय या मोहकमा सरकारी द्वारा आज दिन तक एक्वायर नहीं की गयी है और न ही मिन मुकिर को एक्वायर करने सम्बन्धी कोई नोटिस ही प्राप्त हुई है तथा मिन मुकिर की उक्त आराजी बैंक लोन आदि में बन्धक नहीं है। तथा कोई इल्लत इनकम टैक्स या सेल टैक्स की उक्त आराजियात की बावत नहीं है। गरजे कि उक्त आराजियात आज दिन तक हर प्रकार से पाक व साफ है तथा मिन मुकिर

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

-5-

को जायदाद उपरोक्त को बजरिये बयनामा विक्रय करने हेतु समस्त अधिकार मालिकाना, हासिल है। चूँकि मिन मुकिर को वास्ते करने शादी नातिन व खर्च खानगी व रिहाइस के लिए मकान बनवाने के लिए रुपया की सख्त आवश्क्ता दरपेश है। जो कि बिना बेचे हुए आराजियात उपरोक्त विवरण हस्व जैल मिन मुकिर की जरूरत रफा नहीं हो सकती है। अत: मिन मुकिर ने उक्त आराजियात तफसील हस्व जैल को बेचना

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु. Rs 5000

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

मुनासिब समझकर बेचने की बावत इधर उधर बातचीत चलाई तो मुतल्लः बय पर उक्त आराजी के पाक व साफ होने का यकीन व इतमिनान दिलाने पर बिल एवज मुबलिग 4,09500/- चार लाख नौ हजार पांच सौ रूपया में महावीर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0, मुख्य कार्यालय सिटी सेण्टर माल रोड शहर कानपुर जरिये सचिव श्री ए0 के0 जैन पुत्र श्री जे0 के0 जैन निवासी मकान नम्बर 73 आर0 एस0 पुरम काकादेव शहर कानपुर खरीद करने पर तैयार व रजामन्द है। कीमत निहायत

5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

5000 रु. Rs. 5000

सत्यमेव जयते

पांच हजार रुपए FIVE THOUSAND RUPEES

मुनासिब व वाजिब है, बाजारी भाव से कम नहीं है। और न इससे ज्याद कोई सख्श कीमत देने को तैयार व रजामन्द है। कीमत मिन मुकिर को तस्लीम व कबूल है। लिहाजा बहालत सेहत जात व सबात अक्ल बदुरुस्ती होश हवास बिला किसी दाब नाजायज के मय जुमला हक व हकूक रुहाली व खारिजी हाल व आयन्दा बिला छोड़े हुए किसी चीज के बिल एवज मुबलिग- 4,09500/- चार लाख नौ हजार पांच सौ रुपया जिसके कि आधे मुबलिग 2,04750/- दो लाख

5000 RS.

INDIA NON JUDICIAL

५000 रु. Rs 5000

पाँच हजार रुपए FIVE THOUSAND RUPEES

चार हजार सात सौ पचास रुपया सिक्का हिन्द सरकार यूनियन के होते हैं, बदस्त महावीर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० रजि० संख्या 666 सन् 1982 ई० मुख्य कार्यालय सिटी सेण्टर माल रोड शहर कानपुर जरिये सचिव श्री ए० के० जैन पुत्र श्री जे० के० जैन निवासी मकान नम्बर-73 आर०एस० पुरम, काकादेव शहर कानपुर के बय कतई कर दिया यानी बेंच डाला तथा कुल कीमत निम्न लिखित तफसील के अनुसार मिन मुकिर ने उक्त खरीदार समिति

5000Rs.

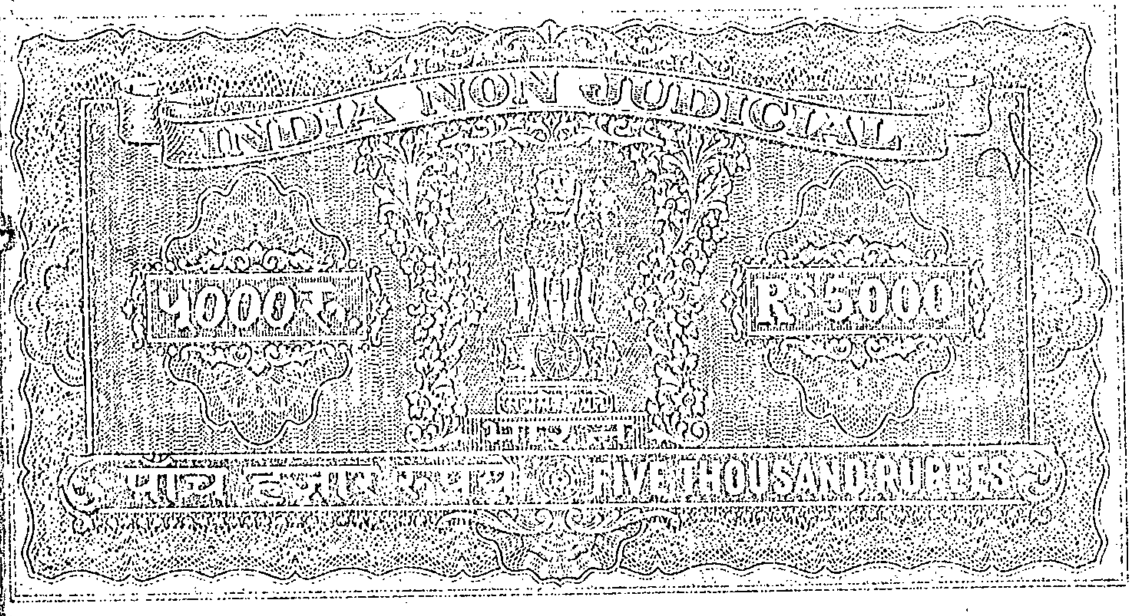

से वसूल पा लिया है । निस्वत जर समन अब एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार समिति के शेष नहीं रह गया है । मिन मुकिर ने आज की तारीख से जायदाद मुवैया हाजा से अपना कब्जा व दखल मालिकाना व वाकई कतई मौके से हटा कर मिस्ल अपने कब्जा व दखल मालिकाना व वाकई जायदाद मुवैया हाजा पर आज की तारीख से खरीदार समिति का करा दिया तथा मालिक, काबिज व दखील करा दिया आज की तारीख से खरीदार समिति जायदाद मुवैया

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

5000रु. Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

-10-

हाजा का एक मात्र मालिक, काबिज व दखील हो गया तथा उसे कुल अधिकार जायदाद मुबैया हाजा की निस्वत मालिकाना, इन्तकाली, दाखिली व खारिजी हाल व आयन्दा के हासिल हो गये है। अब खरीदार समिति को अधिकार होगा कि वह जायदाद मुबैया हाजा को जिस प्रकार से चाहे अपने प्रयोग व इस्तेमाल में लावे। इसमें मुकिर व वारिसान मुकिर व कायम मुकामान वारिसान मुकिर को कोई उजुर व एतराज न होगा। खरीदार समिति को चाहिए कि वह अपना नाम कागजात

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

5000Rs. Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

-11-

सरकारी में बखाना मिलकियत दर्ज करा लेवे, तथा दर्ज नाम मिन मुकिर इखराज करा देवे, जिसकी रजामन्दी इस बयनामा हाजा द्वारा समझी जावेगी । फिर भी यदि कहीं जरूरत पड़ी तो मुकिर अपनी तहरीरी व जुबानी रजामन्दी जैसी की भी जरूरत होगी देने को पाबन्द रहेगा । मिन मुकिर ने जायदाद उपरोक्त के पूर्ण रूप से पाक व साफ होने का यकीन व इतमिनान खरीदार समिति को करा दिया है । फिर भी यदि मुकिर के फेल या तर्कफेल या नुक्स मिलकियत आदि

2/10/11/94

2/10/12/94

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

5000रु. Rs.5000

पाँच हजार रुपए FIVE THOUSAND RUPEES

-12-

की बजह से जायदाद मुबैया हाजा का कुल या जुज

भाग कब्जा व दखल मुकिर के फेल वेजा से खरीदार

समिति के कब्जा व दखल व हक से निकल जावे । या

खरीदार समिति को जायदाद मुबैया हाजा की निस्बत

आज दिन तक की बाबत कुछ भी अदा या सर्फ करना पड़े

तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुकिर व वारिसान मुकिर व

कायम मुकामान वारिसान मुकिर की होगी, और खरीदार

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

...नीत को अधिकार होगा कि वह अपना कुल जर समन

मय हरजा व खर्चा मिन मुकिर की दीगर जात खास जायदाद

मनकूला व गैर मनकूला से जिस प्रकार से चाहे बजरिये अदालत

मुकिर के हरजे खरचे पर दाम दाम बसूल पा लेवे । इसमें मुकिर

व वारिसान मुकिर व कायम मुकामान वारिसान मुकिर को

कोई उजुर व एतराज न होगा । जुमला शरायत दस्तावेज

हाजा की पाबन्दी मुकिर व वारिसान मुकिर व कायम मुकामान

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

वारिसान मुकिर पर लाजिम व बाजिब होगी ।

लिहाजा बदुरुस्ती होश हवास बिला किसी दाब नाजायज के स्वस्थ मन, बुद्धि, चित्त व इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिना किसी के बहकाये या बरगलाये राजी खुशी से ये चन्द कलमात बतरीक बयनामा कलई तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे ।

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

-15-

तफसील जायदाद मुबैया

आराजियात भूमिधरी नम्बरी 1082 एक हजार ब्यासी रकवा 0.307 है0 शून्य दशमलव तीन शून्य सात हैक्टेयर व आराजी भूमिधरी नम्बरी 1093 एक हजार तिरानवे रकवा 0.451 है0 शून्य दशमलव चार पांच एक हैक्टेयर व आराजी भूमिधरी नम्बरी 1094 एक हजार चौरानवे रकवा 0.533 है0 शून्य दशमलव पांच तीन तीन हैक्टेयर कुल तीन किता कुल रकबा 1.291 है0 एक दशमलव

11/12/21

भारत INDIA

FIFTY RUPEES

50 RS.

दो नौ एक हेक्टेयर के एक बटा दो भाग यानी रकबा 0.645हे0 शून्य दशमलव छ:चार पांच हेक्टेयर यानी रकबा तीन बीघा तीन बिस्वा स्थित मौजा बैरी अकबरपुर कछार परगना तहसील व जिला कानपुर नगर का विक्रय किया गया है।

भूमि बेंचने की आज्ञा श्रीमान सक्षम प्राधिकारी महोदय, नगरभूमि सीमारोपण कार्यालय पारवती बांगला रोड शहर कानपुर से बजरिये पत्र संख्या- 401 कृषि भूमि दिनांक-26-2-93 ई0 को प्राप्त कर ली गयी है। मालियत के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी सर्किल रेट 2,70,000/-रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 4,35,000/- रुपया पर मुब0 63,075/-रुपया की अदा की गयी है। —विक्रेता

20 Rs.

TWENTY RUPEES

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का नहीं है ।

तफसील बसूलयाबी जरे समन मुबलिग 4,09500/- चार लाख नौ हजार पांच सौ रुपया ।

मुबलिग 4,09500/- चार लाख नौ हजार पांच सौ रुपया जरिये ड्राफ्ट नम्बर-394820 दिनांक 11-03-93 केनरा बैंक शाखा माल रोड कानपुर नगर रूबरू श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय कानपुर के मुकिर ने खरीदार समिति से बसूल पाये । निस्बत जर समन अब एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार समिति के शेष नहीं रहा ।

2/3/1993

21/4/93

5 RS

INDIA

पाँच रुपये

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

मुकिर बिक्रेता ने उपरोक्त आराजी की बावत आयकर कार्यालय कानपुर नगर से आयकर रहित प्रमाण-पत्र (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) प्राप्त कर लिया है । जो दिनांक 16-3-1993 ई० को आयकर कार्यालय कानपुर नगर से जारी किया गया है।

तहरीर तारीख- 31-3-1993 ई० ।

गवाह 1-- नवल किशोर वाजीसिंग

गवाह 2- विजय [illegible]

मशविदा मेरे निजी टाईपिस्ट द्वारा मेरे कार्यालय में मेरे डिक्टेशन पर टाइप किया गया ।

सुबोध कुमार त्रिवेदी, एडवोकेट

कानपुर ।

[illegible]

31/3/93

[illegible] ...ivedi

Advocate

Court Compound - Kanpur